"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 अगस्त 2013—श्रावण 14, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक 6757/डी. 240/21-अ/प्रारू./छ.ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुषमा सावंत,** अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 25 सन् 2013)

# छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी-आयु ) ( संशोधन ) अधिनियम, 2013

**छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी-आयु ) अधिनियम, 1967 ( क्रमांक 29 सन् 1967 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 में, मूलभूत नियम के नियम 56 में निम्नलिखित संशोधन समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

(एक) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ) एवं (1-च) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा."

(दो) उप-नियम (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

**स्पष्टीकरण**— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति को लागू, भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो, किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

(तीन) उप-नियम (1-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-ग) (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी "पशु चिकित्सा" पद पर नियुक्त हुआ हो, वह सेवा से उस मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें.

परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

**स्पष्टीकरण**— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियम के अनुसार, नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जिसने बीस वर्ष से अन्यून पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में साठ वर्ष से बासठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से लागू हुई समझी जाएगी."

(चार) उप-नियम (1-घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1-घ) (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) का सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर हुई हो और छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर हुई हो, वह उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उक्त नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

**स्पष्टीकरण-1**— इस उप नियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के

अनुसार की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

**स्पष्टीकरण-2**—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से लागू समझी जाएगी."

(पांच) उप-नियम (1-ङ) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से लागू समझी जाएगी."

(छः) उप-नियम (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(1-च) (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो एवं छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकिरसा पद्धति तशा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक के पद पर हुई हो वह उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा :

परन्तु उपरोक्त वर्णित सेवाओं के उपरोक्त वर्णित पदों के सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के

अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

**स्पष्टीकरण-1**— इस उप नियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य", "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य", "छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य" तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) अथवा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध, दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू हुई समझी जाएगी."

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक 6757/डी. 240/21-अ/प्रारू./छ.ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुषमा सावंत**, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 25 of 2013)

## THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

**An Act further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

**Short title, and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Rule 56 of Fundamental Rules substituted by section 2 of the Chhattisgarh Act No. 29 of 1967.**

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967), in Rule 56 of Fundamental Rules, following amendment shall be incorporated, namely :—

(i) For sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Servant other than a Government Servant mentioned in sub-rules (1-a), (1-b), (1-c), (1-d), (1-e) and (1-f), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years :

Provided that on attaining the age of sixty years above mention Government Servant, whose date of birth falls on first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month."

(ii) For sub-rule (1-a), the following shall be substituted, namely :—

"(1-a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Teacher other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-d) and (1-e), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty two years :

Provided that on attaining the age of sixty two years above mention Government Teacher, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

**Explanation**— For the purpose of this sub-rule, "Government Teacher" means a Government Teacher, other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-d) and (1-e), by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in a Government educational institution in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include a teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided that he holds a lien on the post in the concerned Government educational institution".

(iii) For sub-rule (1-c), the following shall be substituted, namely :—

"(1-c) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service appointed to a 'veterinary medical' post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment

Rules, 1966 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 62 years :

Provided that on attaining the age of sixty two years every above mentioned member of the above mentioned Rules, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years.

**Explanation**— For the purpose of this sub rule "a member of the Chhattisgarh Veterinary Services (Gazetted)" means a Government servant, by whatever designation called, appointed as a veterinary medical officer or specialist in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include such veterinary medical officer or specialist who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has served as veterinary medical officer or specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on the post in concerned Chhattisgarh Veterinary Services (Gazetted).

(b) The increase of age of superannuation from sixty years to sixty two years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st of September, 2008."

(iv) For sub-rule (1-d), the following shall be substituted, namely :—

"(1-d) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), a member of Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services (excluding General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon) appointed to a medical teacher post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) service Recruitment Rules, 1987 and a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services appointed to an Ayurvedic Teacher Post, mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he attains the age of sixty five years :

Provided that on attaining the age of sixty five years the abovementioned member of the said Rules, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

**Explanation-I** For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services"means a Government servant, by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in Government Medical College, in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include the medical teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on the post in concerned Medical Education Service.

**Explanation-II-** For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1987" means a Government servant, by whatever designation called, appointed for the pupose of teaching in Government Ayurved College, in accordance with the recruitment rules applicable to such, appointment and shall also include the Ayurved teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on the post in concerned Ayurved Education Service.

(b) The increase of age of superannuation from sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2007."

(v) Sub-rule (1-e), the clause shall be renumbered as clause (a) and after clause (a) of sub-rule (1-e) the following shall be added, namely :—

"(b) The increase of age of superannuation from sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2012."

(vi) After sub-rule (1-e) the following shall be added, namely :-

"(1-f) (a) Subject to the provision of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1988, every Member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services appointed to a medical post mentioned in Schedule I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopath) Recruitment Rules, 1987, every member of the Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1981 and a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services appointedto a General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of teaching Hospital or Dental Surgeon mentioned in Schedule 1 to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 65 years :

Provided that on attaining the age of sixty five years, a member of the abovementioned Services in the above mentioned posts, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

**Explanation-I** For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services", "A Member of Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services"

a member of the Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) and a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services means a Government servant, by whatever designation called, appointed as Medical Officer or Specialist in accordance with the recruitment rules and shall also include such Medical officer or Specialist who is appointed to a administrative post by promotion or otherwise, provided he holds a lien on a Medical post in concerned the Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services or the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) service or Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) or Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services.

(b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2013."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.